

9/5/24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष क्षतिर नहीं
आये है। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रकरण वर्षों से नामिल में लम्बित
है। वकील वादी को नलवाना समान
पेश करने हेतु अनेक उत्तर देने से
वावजूद नलवाना समान पेश न करने
से कारण वादी का वाद 9/15 जारी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार लेकर दर्ज नम्बर से कम
हो। आदेश बुले न्यायालय में पुरनाया
गया।

उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

